उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः 13/2019/374/35-1-19-716/2018
लखनऊः दिनांक 28 मई, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांकः 22 मार्च, 2019 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पत्र संख्या-39/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2019, दिनांक 25.04.2019 पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2810–अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्राविधानित धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि रू0 2,03,093.00 लाख को घटाते/समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) अथवा रू0 48,98,455.00 लाख (रूपये अड़तालीस लाख अट्ठान्नबे हजार चार सौ पचपन मात्र) की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(186) /2014, दिनाक 13 जून, 2016 में अंकित शर्तों/प्रावधानों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/ परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखा जायेगा तथा उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा डॉ0 गोमती द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/ शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बोर्ड की नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-40 के अन्तर्गत ''लेखा शीर्षक-2810–अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक : 22 मार्च, 2019 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः 13/2019/374(1)/35-1-2019-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
10. वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।